पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 (वायु सेना स्थल) जोधपुर

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के तहत स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण (Suo Motu Disclosure)

अंतिम अद्यतन तिथि: 27.07.2026

क्र.सं.	मद / श्रेणी	विवरण / विवरण-सामग्री
(i)	**विद्यालय के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण**	• **विद्यालय का नाम:** पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 (ए.एफ.एस.) जोधपुर • **सीबीएसई संबद्धता संख्या:** 1700023 • **प्रबंधन:** केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार • **पता:** पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 (ए.एफ.एस.) जोधपुर, वायु सेना स्थल, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) - 342011 • **कार्य:** सीबीएसई पाठ्यक्रम और केविएस मानकों के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना।
(ii)	**इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य**	• **प्राचार्य:** श्री गजेंद्र जोशी, विद्यालय के समग्र शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख, जो केविएस/सीबीएसई नीतियों के कार्यान्वयन, कर्मचारी पर्यवेक्षण और विद्यालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। • **अन्य शैक्षणिक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी:** केविएस शिक्षा संहिता (KVS Education Code) के अनुसार प्राचार्य के पर्यवेक्षण में अपने पदनाम के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
(iii)	**निर्णय लेने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यमों सहित)**	• निर्णय केविएस शिक्षा संहिता और सीबीएसई नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। • **पर्यवेक्षण श्रृंखला:** शिक्षक → प्राचार्य → उपायुक्त, केविएस जयपुर संभाग → केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)। • विद्यालय प्रबंध समिति (VMC) संस्थागत देखरेख और मार्गदर्शन प्रदान करती है।
(iv)	**कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड**	• **प्रवेश नीति:** केविएस प्रवेश दिशा-निर्देश • **शैक्षणिक कैलेंडर:** गतिविधियों का कैलेंडर (Calendar of Activities) • **परीक्षा और मूल्यांकन नीति:** केविएस/सीबीएसई मानदंडों एवं केविएस शिक्षा संहिता के अनुसार
(v)	**कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख**	• केविएस शिक्षा संहिता (KVS Education Code) • सीबीएसई उप-नियम और पाठ्यक्रम दिशा-निर्देश • केविएस लेखा संहिता (वित्तीय नियमों और बजट मामलों के लिए)
(vi)	**विद्यालय द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियां**	• प्रवेश एवं नामांकन अभिलेख • छात्र उपस्थिति एवं शैक्षणिक अभिलेख • शुल्क रसीदें एवं लेखा अभिलेख • विद्यालय प्रबंध समिति (VMC) के अभिलेख • कर्मचारी सेवा अभिलेख
(vii)	**नीति निर्माण में जनता से परामर्श / प्रतिनिधित्व की व्यवस्था**	• शैक्षणिक वर्ष के दौरान समय-समय पर आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठकें (PTM)। • विद्यालय प्रबंध समिति (VMC), जिसमें अभिभावक प्रतिनिधित्व शामिल है।
(viii)	**विद्यालय द्वारा गठित बोर्ड, परिषदें और समितियां**	• विद्यालय प्रबंध समिति (VMC) (सदस्यों के विवरण के लिए VMC पृष्ठ देखें)।
(ix)	**अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (Directory)**	• पदनाम के साथ शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची के लिए "कर्मचारी विवरण" (Staff Details) देखें।
(x)		

क्र.सं.	मद / श्रेणी	विवरण / विवरण-सामग्री
	अधिकारियों और कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक	• भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) वेतनमान और केविएस लेखा संहिता के तहत वेतन निर्धारित किया जाता है।
(xi)	**आवंटित बजट, योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण**	• बजट और वित्तीय प्रबंधन केविएस लेखा संहिता द्वारा संचालित होते हैं। विस्तृत आंकड़े जन सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
(xii)	**सब्सिडी कार्यक्रमों का निष्पादन**	• विद्यालय किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का संचालन नहीं करता है।
(xiii)	**दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों का विवरण**	• लागू सरकारी/केविएस मानदंडों के तहत स्वीकार्य शुल्क छूट के अलावा विद्यालय कोई अन्य छूट, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।
(xiv)	**इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना**	• परीक्षा परिणाम • परिपत्र और सूचनाएं • प्रवेश संबंधी जानकारी • गतिविधियों का कैलेंडर
(xv)	**सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं**	• **फ्रंट ऑफिस / प्रवेश कार्यालय समय:** सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक • **पुस्तकालय:** केवल छात्रों और कर्मचारियों के आंतरिक उपयोग के लिए; आम जनता के लिए खुला नहीं है।
(xvi)	**जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और विवरण**	• **जन सूचना अधिकारी (PIO):** श्री गजेंद्र जोशी, प्राचार्य • **पता:** पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 (ए.एफ.एस.) जोधपुर, वायु सेना स्थल, जोधपुर, जिला जोधपुर (राज.) – 342011 • **फोन:** 0291-2670689 • **ईमेल:** Ppl.jodhpurno2afs@kvs.gov.in • **प्रथम अपीलीय अधिकारी:** श्री संजीत कुमार, उपायुक्त (फोन: 0141-2704572; इस पद पर 28-06-2024 से निरंतर)।
(xvii)	**अन्य जानकारी**	• वर्तमान में कोई अन्य जानकारी नहीं है।

उपरोक्त के अंतर्गत शामिल न की गई किसी भी जानकारी के लिए, नागरिक सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित आरटीआई आवेदन शुल्क के साथ मद (xvi) में नामित जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।